सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़
पत्र संख्याः- 25/प्रेसनोट/2021 **12 जनवरी 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

आपराधिक माफिया गैंग D-11 का लीडर अभियुक्त ध्रव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के 02 सहयोगी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वान्छित , ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 12.01.2021 को व0उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह उ0नि0 अमरनाथ यादव का0 चित्रसेन , का0 रवीन्द्र शाह, का0 राजन शर्मा के देख भाल क्षेत्र व तलाश वांछित व दबिश क्षेत्र से वापस थाना आ रहे थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि 02 बदमाश सगड़ी तहसील की तरफ से आजमगढ़ की तरफ सुपर स्पेलेण्डर मो0सा0 से जाने वाले है। मुखविर की इस सूचना पर व0उ0नि0 सरकारी वाहन को अशरफपुर मोड़ के पास आड़ में खड़ी कर आने वाले व्यक्तियो का इंतजार मय मुखबिर के करने लगे। थोडी ही देर में एक मो0सा0 आती हुई दिखाई देने पर मुखबिर ने इशारे से बताया कि ये वही बदमाश है जिन्हे मैने आप को बताया है कि अचानक सामने आने पर उक्त मो0सा0 चालक को टार्च की रोशनी देकर रूकने का इशारा किया गया। मो0चा0 ने अपनी मो0सा0 धीमी किया कि तब तक चालक ने कहा कि अरे पुलिस है। सोफियान गोली चलाओ और पीछे बैठे व्यक्ति ने वरिष्ठ उ0नि0 को लक्ष्य कर फायर किया। जो सिर के ऊपर से निकल गयी कि पुलिस टीम उक्त मो0सा0 सहित दोनो बदमाश को मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये बदमाशो से इनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो फायर करने वाले जो पीछे बैठा था अपना नाम सोफियान पुत्र जुम्मन R/0 समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया उम्र 29 वर्ष बताया। जामा तलाशी से इसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम शिवम यादव पुत्र लच्छी राम यादव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम आरिफपुर बनौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी से इसके पास कुछ नही मिला। पकड़ी गयी मो0सा0 के सम्बन्ध में कागजात तलब किया गया तो नही दिखा सका। पूछताछ पर दोनो ने बताया कि हम दोनो किसी कार्य वश एक जगह जा रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़ लिया। पकड़े गये दोनो अभि0गण को धारा 307 IPC व अभि0 सोफियान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3/25 A Act में कारण गिरफ्तारी बता कर समय 05.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालाना माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सोफियान पुत्र जुम्मन R/0 समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ (सोफियान का एक भाई रिजवान जीयनपुर थाने का गैगेस्टर एक्ट का मुलजिम है जिसे पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।)

2. शिवम यादव पुत्र लच्छी राम यादव निवासी ग्राम आरिफपुर बनौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>बरामदगी</u>-

अभियुक्त सोफियान उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 1 अदद जिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

1. मु0अ0सं0 15/21 धारा 307 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 16/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

अभियुक्त सोफियान पुत्र जुम्मन R/0 समुन्द्रपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 15/21 धारा 307 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 16/21 धारा 3/25 A Act थाना जीयनपुर आजमगढ़

अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लच्छी राम यादव निवासी ग्राम आरिफपुर बनौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 15/21 धारा 307 IPC थाना जीयनपुर आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. व0उ0नि0 संजय सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 चित्रसेन थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 रविन्द्र शाह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. का0 राजन शर्मा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>थाना- जीयनपुर</u>

<u>01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 11.11.2020 को वादी श्री मो0 वसीम पुत्र कासिम खान निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणो द्वारा वर्ष 2018 में बलिया जेल जाने के लिये कहे की चलिये ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह द्वारा जेल में बुलाकर मुलाकात करने तथा अभियुक्त अब्दुल हई को मनरेगा योजना के अन्तर्गत ब्लाक से काम देने तथा न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए थे प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 378/20 धारा 147/386/506 IPC पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वान्छित , ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन मे दिनांक 11.01.2021 को व0उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित/वाँछित अभियुक्त मोहसीन उर्फ टिपू पुत्र आलमगीर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जो अपने घर पर मौजूद है जो कही जाने के फिराक में है इस सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को समय 22.05 बजे उसके घर से गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>-

मु0अ0सं0 378/20 धारा 147/386/506 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

मोहसीन उर्फ टिपू पुत्र आलमगीर निवासी अतरकच्छा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. व0 उ0नि0 संजय सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 रणवीर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 चित्रसेन थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. का0 शुभम यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़